राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान

नागरिक अधिकार पत्र

मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
https://minority.rajasthan.gov.in
dirminority@gmail.com, Ph. 0141-2711978

राजस्थान सरकार

नागरिक अधिकार पत्र

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान

https://minority.rajasthan.gov.in

प्रस्तावना–

अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, जैन, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध व पारसी) के लिये केन्द्र सरकार की तर्ज पर मंत्रीमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या एफ. 27(5) मं.मं. /2009 दिनांक 19.12.2009 के द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नीति व योजना निर्माण व क्रियान्वयन, विनियामक ढ़ांचे एवं विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा समीक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया।

अल्पसंख्यक समुदाय का विकास किये बिना सतत एवं समग्र विकास की संकल्पना नहीं की जा सकती है अतः आज के परिवेश की एक महती एवं स्वाभाविक आवश्यकता के सन्दर्भ में सबका साथ सबका विकास एवं सबका प्रयास के मूल ध्येय के साथ विभाग अल्पसंख्यकों के समग्र विकास हेतु निरन्तर क्रियाशील एवं कार्यरत है।

दृष्टि (Vision)– "विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ एक निर्धारित समयावधि में अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित करना।"

उद्देश्य (Mission)–

- अल्पसंख्यकों के **शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नयन संबंधी** व्यापक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाना।
- अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र विकास हेतु नीति तैयार करना, योजना निर्माण, विनियामक ढ़ांचे एवं विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन व समीक्षा कर क्रियान्वयन करना।
- अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना एवं उनका पर्यवेक्षण एवं प्राप्त समस्याओं व शिकायतों का निदान करना।
- सार रूप में विभाग द्वारा निर्बल को सबल, कमजोर को सशक्त, बेसहारा को सहारा देकर आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन के विभिन्न आयामों में सशक्तिकरण करते हुये मुख्य धारा में सम्मिलित करना है ताकि इनको एक स्वस्थ एवं सुदृढ़ समाज निर्माण की दिशा एवं दशा की ओर अग्रसर किया जा सके।

प्राथमिकतायें (Priorities)–

अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिणिक उन्नयन एवं आर्थिक संबलन की गतिविधियों/कार्यक्रमों का संचालन एवं उनका क्रियान्वयन विभाग की प्राथमिकता है जिसके माध्यम से विकास के पैमाने पर सर्वाधिक पिछडे व सीमांत पर खडे अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा में शामिल करना है।

विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों की प्राथमिकता का विवरण निम्नानुसार है एवं उसके समयबद्ध निस्तारण का विवरण तालिका में प्रदर्शित है।

- **शैक्षिणिक उन्नयन हेतु –**
  - छात्रवृति– पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स व प्री–मैट्रिक (कक्षा 9 व 10) तथा बेगम हजरत महल छात्रवृति (कक्षा 9 व 10 एवं 11 व 12 की अल्पसंख्यक बालिकाओं हेतु)।
  - मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना।
  - शिक्षा तक सहज पहुँच हेतु आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की सुविधा।
  - अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता ।
  - अल्पसंख्यक शोध एवं अध्ययन।
- **स्व विकास के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु–**
  - कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना।
  - अम्बेडकर डीबीटी योजना।
- **आर्थिक संबलन हेतु गतिविधियां**
  - **रोजगार व कौशल विकास प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक व तकनीकी कोर्स हेतु**
    - मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना।
    - कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
    - मुख्यमंत्री भाषा दक्षता एवं कौशल विकास योजना।
- **आधारभूत संरचना के विकास हेतु**
  - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम।
  - आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम।
  - वक्फ सम्पत्ति संरक्षण योजना।
  - वक्फ सम्पत्ति संरक्षण एवं विकास योजना (जन सहभागिता)।
- **अनुसांगिक संगठन के माध्यम से**
  - राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम लिमिटेड।
  - राजस्थान मदरसा बोर्ड।
  - राजस्थान राज्य हज कमेटी।
  - राजस्थान वक्फ बोर्ड।

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	05
2	छात्रवृत्ति योजना 1. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 2. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 3. मैरिट कम मीन्स छात्रवृति 4. बैगम हजरत महल	06–07
3	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना	07–08
4	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय	08
5	अल्पसंख्यक छात्रावास	08–09
6	मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना	09
7	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना	09–10
8	अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना	10–11
9	अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता	10
10	कौशल विकास प्रशिक्षण	11
11	समावेशी विकास कोष 1. मुख्यमंत्री भाषा दक्षता एवं सम्प्रेषण कौशल विकास योजना 2. आधारभूत संरचना विकास योजना 3. वक्फ सम्पति संरक्षण योजना 4. वक्फ सम्पति संरक्षण एवं विकास योजना (जन सहभागिता)	11–12
12	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)	12
13	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.	12–13
14	राजस्थान मदरसा बोर्ड	13
15	राजस्थान राज्य हज कमेटी	13
16	राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स	13
17	अल्पसंख्यक शोध एवं अध्ययन	13

विभाग की संगठनात्मक सरंचना

राज्य स्तरीय प्रशासनिक स्वरूप

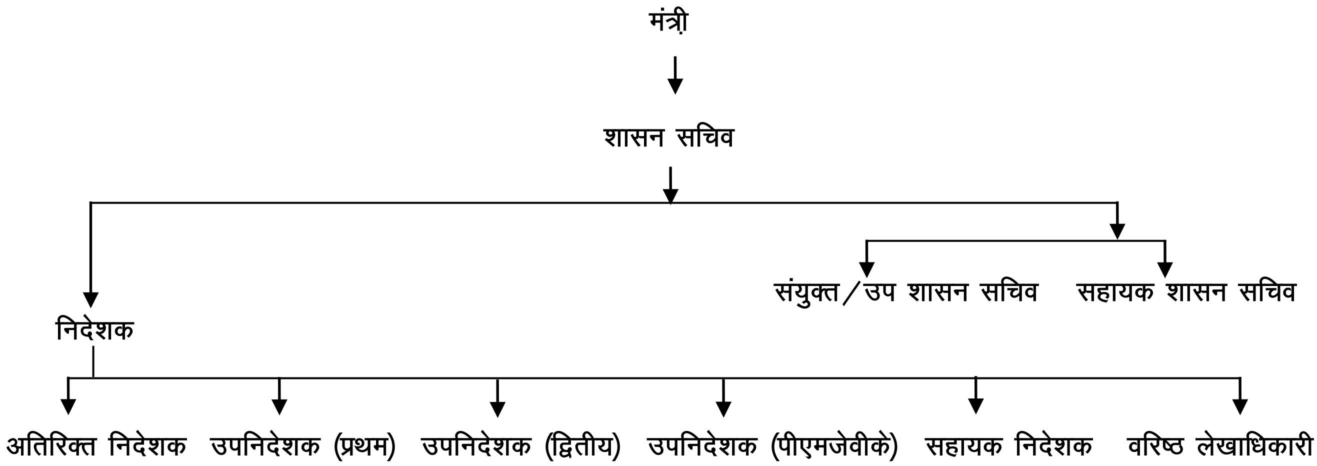

जिला स्तर पर प्रशासनिक स्वरूप

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	योग्यता / पात्रता देय राशि / लाभ सुविधाए आवेदन का तरीका आवेदन के साथ दस्तावेज	निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी	निस्तारण अवधि	निस्तारण अवधि में समाधान ना होने पर नियंत्रण अधिकरी
01	अल्पसंख्यक प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना (कक्षा 09 से 10 तक)	• गत परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक • कक्षा 09 से 10वीं में राजकीय व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी • **वार्षिक आय सीमा** – 1.00 लाख • प्रवेश फीस, ट्यूशन फीस, अनुरक्षण भत्ता • NSP पोर्टल की वेबसाईट www.scholarships.gov.in पर आवेदन • मूल निवास प्रमाण पत्र • बैक खाता व खाते की पासबुक • आधार कार्ड / जनाधार कार्ड • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र • गतवर्ष की अंकतालिका	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय कार्यक्रमानुसार।	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर,
02	अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना (कक्षा 11 से उच्च स्तर तक)	• गत परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक • कक्षा 11वीं से पीचएडी स्तर यथा **बीए. बीकॉम, बीएससी, एमए,एमएससी,एमकॉम एवं समस्त स्नातक, स्नाकोत्तर स्तर के अकादमिक कोर्स** • **राजकीय व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी** • **वार्षिक आय सीमा** – 2.00 लाख • प्रवेश फीस, ट्यूशन फीस, अनुरक्षण भत्ता • NSP पोर्टल की वेबसाईट www.scholarships.gov.in पर आवेदन • मूल निवास प्रमाण पत्र • बैक खाता व खाते की पासबुक • आधार कार्ड / जनाधार कार्ड • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र • गतवर्ष की अंकतालिका	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय कार्यक्रमानुसार।	उपनिदेशक (द्वितीय)–स्टेट नोडल अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग। www.minority.rajasthan.gov.in
03	अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना (स्नात्तक व स्नाकोत्तर स्तर के	• गत परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक • तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स करने वाले विद्यार्थी यथा मेडिकल, एमबीए, बीएससी नर्सिग, एलएलबी आदि	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय कार्यक्रमानुसार।	उपनिदेशक (द्वितीय)–स्टेट नोडल अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग।

	सभी तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु)	• **वार्षिक आय सीमा** – 2.50 लाख • प्रवेश फीस, ट्यूशन फीस, अनुरक्षण भत्ता • NSP पोर्टल की वेबसाईट www.scholarships.gov.in पर आवेदन • मूल निवास प्रमाण पत्र • बैक खाता व खाते की पासबुक • आधार कार्ड/जनाधार कार्ड • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र गतवर्ष की अंकतालिका			www.minority.rajasthan.gov.in
04	बेगम हजरत महल योजना	• केवल छात्राऐं • कक्षा 9–12 में अध्ययनरत हो। • गत परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत • **वार्षिक आय सीमा** – 2.00 लाख • 9वीं व 10वीं कक्षा के लिए छात्राओं को 5000/– रूपये वार्षिक एवं 11वीं व 12वीं के लिए 6000/– रूपये वार्षिक • NSP पोर्टल की वेबसाईट www.scholarships.gov.in पर आवेदन • मूल निवास प्रमाण • बैक खाता व खाते की पासबुक • आधार कार्ड/जनाधार कार्ड • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय कार्यक्रमानुसार।	उपनिदेशक (द्वितीय)–स्टेट नोडल अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग। www.minority.rajasthan.gov.in
05	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना (प्रतिभावान छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता)	• राजस्थान का मूल निवासी • राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12 वी पास अभ्यर्थी जिसके न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हो • उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में चयनित अभ्यर्थी राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी उच्च संस्थान/तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। • **वार्षिक आय सीमा** – 2.50 लाख • 500/– रू. प्रतिमाह 10 महिने तक कुल 5000/– रूपये वार्षिक • hte.rajasthan.gov.in पर आवेदन करना होगा • 12वीं की अंकतालिका	आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग।	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात उसी वित्तीय वर्ष में।	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।

		• बैक खाता व खाते की पासबुक • आधार कार्ड/जनाधार कार्ड • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र			
06	अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओ हेतु आवासीय विद्यालय संचालन योजना (कक्षा 06 से 12 तक)	• राजस्थान का मूल निवासी • बालक विद्यालय हेतु बालक • बालिका विद्यालय हेतु बालिका • **वार्षिक आय –** माता–पिता की वार्षिक आय 8.00 लाख तक तथा राज्य कर्मचारी होने की स्थिति में एल–11 तक प्राप्त वेतन • निःशुल्क, गुणवतापूर्ण शिक्षण, आवास, भोजन, तथा निजी उपयोग की सामाग्री तथा सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन। • **विज्ञप्ति जारी होने पर** संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन (विज्ञप्ति के लिए संभावित माह मई,जून, जुलाई) • गत वर्ष की अंकतालिका • मूल निवासी प्रमाण पत्र • आधार कार्ड/जनाधार कार्ड • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र • श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र (विधवा, परित्याक्ता, बीपीएल, ओबीसी, विकलांग, अनाथ आदि	संबंधित आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात 1 माह में।	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय
07	अल्पसंख्यक बालक/ बालिका छात्रावासों का संचालन योजना	• 9 वीं से उच्चतर कक्षाओ (शैक्षिक, व्यावसायिक) में अध्ययनरत • **वार्षिक आय –** • माता–पिता की वार्षिक आय 8.00 लाख तक तथा राज्य कर्मचारी होने की स्थिति में एल–11 तक प्राप्त वेतन • आवास, भोजन, पोशाक आदि की निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं • ई–लर्निग सुविधा। **विज्ञप्ति जारी होने** पर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन (विज्ञप्ति के लिए संभावित माह मई, जून, जुलाई) • गत वर्ष की अंकतालिका • आधार कार्ड • आय प्रमाण पत्र	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात 1 माह में।	उपनिदेशक (द्वितीय) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग। www.minority.rajasthan.gov.in

		• अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बी.पी.एल प्रमाण पत्र			
08	मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (भर्ती परीक्षाओं तथा प्रवेश परीक्षाओं की प्रदेश के उत्कृष्ठ व मान्य संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कोचिग)	• अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो • अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य • पात्रता परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक हो • **वार्षिक आय –** माता–पिता की वार्षिक आय 8.00 लाख तक तथा राज्य कर्मचारी होने की स्थिति में एल–11 तक प्राप्त वेतन • प्रदेश के प्रतिष्ठित एवं अन्य कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था तथा अभ्यर्थी को 40,000/– की अतिरिक्त राशि यदि अभ्यर्थी अपना अवास छोडकर अन्य शहर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में कोचिंग के लिए आया हो। • ई–मित्र/SSO ID के माध्यम से SJMS SMS APP पर आवेदन कर सकते है। • www.sje.rajasthan. gov.in पर भी आवेदन किया जा सकता है। • मूल निवास प्रमाण पत्र • 10वीं व 12वीं पास की अंकतालिका • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र • यदि अभ्यर्थी अध्ययनरत है तो संस्था प्रधान से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात उसी वित्तीय वर्ष में मैरिट के अनुसार चयन होने पर।	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग www.sje.rajasthan. gov.in एवं उप निदेशक द्वितीय, अ0मा0वि0 www.minority. rajasthan.gov.in
09	कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना	• अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो • राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में न्यूनतम 65 प्रतिशत • केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में न्यूनतम 75 प्रतिशत (अभ्यर्थी राजस्थान में स्थित विद्यालय में ही अध्ययनरत हो) • राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक (अकादमिक एवं व्यावसायिक) डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्र के तौर पर अध्ययनरत हो। • **वार्षिक आय सीमा –** 2.50 लाख • स्कूटी • एक हेलमेट • दो लीटर पेट्रोल • एक वर्ष का सामान्य बीमा • 05 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय।	आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग।	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात उसी वित्तीय वर्ष में।	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।

		• hte.rajasthan.gov.in पर आवेदन करना होगा। • 12वीं की अंकतालिका • आधार कार्ड/जनाधार कार्ड • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र • बी.पी.एल प्रमाण पत्र (यदि बी.पी.एल है, तो) 12वीं उतीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में अध्ययनरत संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण के साथ संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र			
10	अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना	• राजस्थान का मूल निवासी • केवल छात्र पात्र • आवेदक जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो • **वार्षिक आय सीमा** – 2.50 लाख • अभ्यर्थी को शैक्षणिक सत्र में 2000/– रूपये प्रतिमाह (10 माह के लिए)। • विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात आवेदक द्वारा एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से पोर्टल www.sje.raj.gov. in पर आवेदन करना होगा। • मूल निवास प्रमाण पत्र • बैक खाते का विवरण • आधार कार्ड/ जनाधार कार्ड • गत वर्ष की अंकतालिका • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्यनरत होने का प्रमाण	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय	–	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग www.sje.rajasthan. gov.in एवं उपनिदेशक (द्वितीय) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग। www.minority. rajasthan.gov.in
11	शिक्षण संस्थानो को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र एनसीएमई, एक्ट 2004 की धारा–2 (CA) एवं संविधान की अनुच्छेद 30 (1) के तहत	• अल्पसंख्यको के लिए कार्यरत शैक्षणिक संस्थान • संस्थान की कार्यकारिणी में 2/3 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हो। • जहां अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र अध्ययनरत हो। • **वार्षिक आय सीमा** – गत तीन वर्ष की आईटीआर एवं बैलेन्स शीट। • अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा प्रमाण पत्र। **निर्धारित प्रारूप में** आवेदन पत्र के साथ 5000 डी.डी. के साथ आवेदन, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/निदेशालय	उपनिदेशक द्वितीय, निदेशालय, अल्पंख्यक मामलाात विभाग एवं संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय	पूर्ण आवेदन प्राप्ति के पश्चात 90 दिवस के भीतर।	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग

		अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवेदन • आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज			
12.	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	• अल्पसंख्यक बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष हो। • विभिन्न ट्रेड एवं कोर्स अनुसार रोजगारोन्मुखी निःशुल्क प्रशिक्षण। ऑनलाईन आवेदन RSLDC के पोर्टल पर। संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज	OIC (Scheme) RSLDC	–	Managing Director RSLDC
13	मुख्यमंत्री भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना	• राजस्थान का मूल निवासी। • आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष हो। • लाभार्थी का 12 वी कक्षा उतीर्ण होना अनिवार्य। • **वार्षिक आय** माता–पिता की वार्षिक आय 8.00 लाख तक तथा राज्य कर्मचारी होने की स्थिति में एल–11 तक प्राप्त वेतन • लाभार्थी को अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं का अध्ययन कराया जायेगा। • प्रति पिद्यार्थी 1500/– प्रतिमाह स्टाईफण्ड RKCL के पोर्टल के माध्यम से। • मूल निवास प्रमाण पत्र • कक्षा 12वी की अंकतालिका • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र	RKCL तथा संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय	-	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग www.minority.rajasthan.gov.in
14	आधारभूत संरचना विकास योजना 1. 100 प्रतिशत सरकारी अंशदान 2. जनसहभागिता के आधार पर 90 प्रतिशत सरकारी अंशदान+10 प्रतिशत जनसहभागिता।	• अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र • सार्वजनिक सम्पति • अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सडक/नाली/सामुदायिक भवन/कौशल विकास केन्द्र/आंगनबाडी केन्द्र/ पुस्तकालय/ लैब/ शैचालय/इत्यादि तथा आवश्यकता अनुरूप अन्य कार्य। **कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क** • भूमि के दस्तावेज • प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा (Drawing) • तकमीना (Estimate)	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय	–	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग www.minority.rajasthan.gov.in
15	1. वक्फ सम्पति सरंक्षण योजना (100 प्रतिशत	• वक्फ सम्पति/क्रब्रिस्तान • अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रबिस्तान/मदरसा/ विद्यालय में चार दीवारी निर्माण के	कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण	–	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग www.minority.

	सरकारी अंशदान)	कार्य। • **कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क।** • वक्फ/क़बिस्तान भूमि के दस्तावेज। • प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा (**Drawing**) • तकमीना (**Estimate**)	अधिकारी		rajasthan.gov.in
	2. वक्फ सम्पति संरक्षण एवं विकास योजना (90 प्रतिशत सरकारी अंशदान+10 प्रतिशत जनसहभागिता)	• वक्फ सम्पतियां • अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सामुदायिक भवन/मुसाफिर खाना/मजलिस खाना/वजू खाना/टिन शेड/इंटरलॉकिंग/सीसी रोड आदि विकास कार्य। • **कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्नपर्क।** • वक्फ/क़बिस्तान भूमि के दस्तावेज • प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा (**Drawing**) • तकमीना (**Estimate**)	कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	–	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग www.minority.rajasthan.gov.in
16.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम.....	• 15 किमी की परिधि में 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र • आधारभूत संरचना यथा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कॉमन सर्विस सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक विकास केंद्र स्वास्थ्य सड़कों इत्यादि अवसंरचनाओ के निर्माण हेतु • आवंटित/उपलब्ध भूमि के दस्तावेज • प्रसतावित निर्माण कार्य का नक्शा (Drawing) • तकमीना (Estimate)	कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी PMJVK PORTAL	–	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग www.minority.rajasthan.gov.in
17.	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.	• टर्म लोन– आयु 18 से 54 वर्ष 20 से 30 लाख की सीमा–6 से 8% तक • अल्पसंख्यक वर्ग, आय निवास का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, प्रोजक्ट रिपोर्ट, फोटो, • शिक्षा ऋण–आयु 16 से 32 वर्ष • 20 (घरेलू) से 30 (विदेशी) लाख तक–3 से 8% तक • शिक्षा ऋण हेतु संस्थान/पाठ्यक्रम मान्यता प्रमाण, फीस स्ट्रक्चर, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण • सूक्ष्म ऋण– अल्पसंख्यकों के स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना • प्रति सदस्य 1 से 1.50 लाख तक– 7 से 10% तक • प्राथी अल्पसंख्यक वर्ग का होना	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.	3 माह	प्रशासक, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.

		• अधिकतम आय 8 लाख तक • आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना।			
18.	मदरसा पंजीयन एवं क्रमोन्नयन	• राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पंजीयन नीति के अनुसार। • प्राथमिक श्रेणी में नये मदरसे का पंजीयन एवं पूर्व से प्राथमिक श्रेणी में पंजीकृत मदरसे को उच्च प्राथमिक श्रेणी में क्रमोन्नयन। • सबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को आवेदन। • पंजीयन नीति 2021 में निर्धारित पंजीयन आवेदन पत्र की चैक लिस्ट अनुसार दस्तावेज जो कि मदरसा बोर्ड की अधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध है।	सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर	सम्बधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को चैक लिस्ट अनुसार आवेदन करने पर पंजीयन नीति अनुसार	अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर अथवा प्राधिकृत अधिकारी।
19.	राजस्थान राज्य हज कमेटी	• हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित पात्रता अनुसार। • ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से चयन प्रक्रिया http//hajcommittee.gov.in • हज आवेदन पत्र के साथ– मूल पासपोर्ट, जमा राशि की बैंक की रसीद, स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, केन्सिल चेक अथवा पास की प्रतिलिपि, कोरोना–19 वेक्सिन प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज।	अधिशाषी अधिकारी, राजस्थान राज्य हज कमेटी, जयपुर।	हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई
20.	राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस (अ) नकल वक्फ रिकार्ड	• सामान्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नकल फीस नियमानुसार। • प्रार्थना पत्र के साथ यथा सम्भव छायाप्रति।	सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस	07 कार्य दिवस	अध्यक्ष, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस।
	(ब) सम्पत्तियों का वक्फ पंजीकरण	• निर्धारित प्रारूप में आवेदन एवं पंजीकरण पश्चात निर्धारित पंजीकरण शुल्क। • निर्धारित दस्तावेजात।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस	–	
21.	अल्पसंख्यक शोध एवं अध्ययन पीठ	प्रदेश में अल्पसंख्यको के कल्याण हेतु वर्तमान में संचालित योजनाओं के प्रभाव एवं सुधार हेतु तथा भविष्य की आवश्यकता का आंकलन करने हेतु मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के अधीन सेन्टर ऑफ ऐक्सीलेन्स के माध्यम से प्रदेशभर में सर्वे कर डाटा संग्रहण एवं विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है। अतः इस प्रकरण में आपके सुझाव CERC@MAUJ.AC.IN पर सादर आमंत्रित है।			निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग www.minority.rajasthan.gov.in

“सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास”

नागरिक अधिकार पत्र

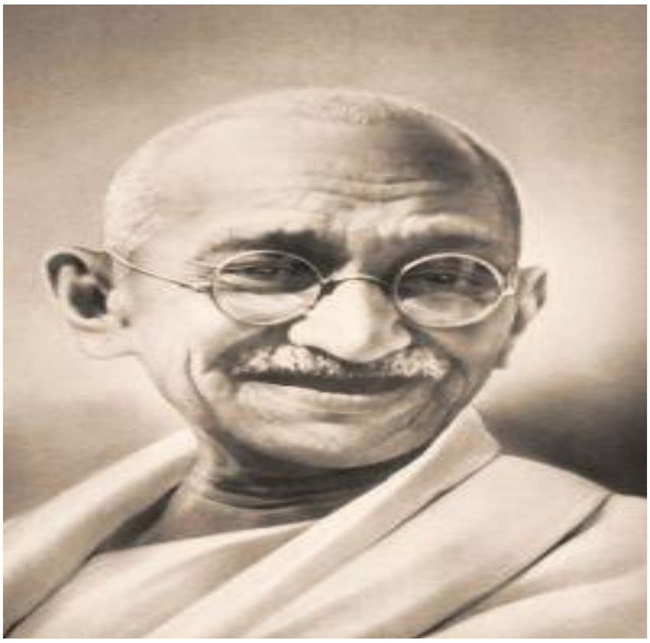

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान

मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

https://minority.rajasthan.gov.in

dirminority@gmail.com, Ph. 0141-2711978